रिपोर्टबल

उच्चतम न्यायालय

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार

फौजदारी अपील नम्बर 1497 सन् 2019

(एसएलपी नम्बर 8428 सन 2010 से उद्भूत)

राजस्थान राज्य

... अपीलांट

बनाम

सहीराम

.. प्रत्यर्थी

उदय उमेश ललित, न्यायाधिपति

1 अनुमति दी गयी।

2 इस अपील द्वार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के फौजदारी अपील नम्बर 774/2015 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 7.4. 2016 को चुनौती दी गयी।

3 दिनांक 20.06.2016 को सूत्र द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि एक सफेद रंग कि ट्रेवा वाहन जिसका पंजीयन नम्बर RJ 27 TC-0323 है उसमें तीन व्यक्ति सवार है वह मध्य प्रदेश से प्रतिबंधित पदार्थ मुख्यतः पोस्त तृण शामिल है मध्य प्रदेश से जोधपुर आ रहे हैं, यह सूचना को लेखबद्ध कर धारा 42 स्वापक औषधिक और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम (जिसे आगे एनपीडीएस संपादित किया जायेगा जावे) कि आवश्यकता अनुरूप एक प्रति उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी।

4 एक टीम का गठन किया गया जो पेट्रोल पम्प निम्बाहेड़ा के पास रेलवे क्रांसिग पहुंची। दो निजी व्यक्ति किशन लाल एवं चमनलाल को पंच हेतु साथ लिया गया। प्रातः 9.40 पर उक्त वाहन को देखा गया जो नीचम से आ रही थी एवं उसे रूकवाया गया। उक्त वाहन प्रत्यार्थी द्वार चलाया जा रहा था एवं दो अन्य सवार कि पहचान सोहन एवं कन्हैयालाल की गयी। एनडीपीएस अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ति कर, उक्त वाहन की

तलाशी ली गयी, तलाशी के दौरान पोस्त तृण के सात बैग, जिनका कुल वजन 28.233 किलोग्राम था। वाहन चालक की सीट के पीछे मिले। प्रत्येक बैग से 500 ग्राम के दो सैम्पल लिये गये एवं सैम्पल को सील किया गया। बचे हुए 2500 ग्राम के पदार्थ को अलग थैलों में रखा गया। बैग जिनका वजन 233 किलोग्राम था उन्हें भी सील किया गया। पंचनामा बनाया गया जिसमें प्रत्यार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये।

5 बाद अनुसंधान प्रत्यार्थी एवं सोहन एवं कन्हैयालाल के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 8 सपठित धारा 15 एनडीपीएसी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जबकि एक श्याम सुन्दर, उसकी पत्नी विमला एवं वाहन के स्वामी एवं एक पप्पू राजा के विरुद्ध अनुसंधान अपूर्ण रहा। आदेश दिनांक 25.05.2015 द्वारा सोहन एवं कन्हैयालाल अन्वीक्षा के दौरान मफरूर घोषित हुए।

6 अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में 18 साक्ष्य को परिक्षित ठहराया। पीडी 15 सुरेन्द्र सिंह, द्वारा उक्त सूचना को रोजनामचा में दर्ज किया गया एवं उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गयी। प्रतिबंधित पदार्थ कि बरामदशी बावत इस गवाह द्वारा यह कहा गया –

> ‘‘वाहन चालक की सीट के पीछे एक सफेद प्लास्टिक बैग जो धागे से बंधा था, जो कि पुलिस जाप्ता एवं गवाहों की मदद से खोला गया, जिसे सूंगा गया तब सभी व्यक्तियों ने इसे पोस्ट तृण बताया गया। उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र है तो उन्होंने इंकार किया। इन तीनों व्यक्तियों का कृत्य अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस के तहत दंडनीय अपराध पाये जाने पर जिस कारण से वाहन से बैग बाहर निकाले गये, एवं सभी 7 बैग का वनज लिया गया, उसका कुल वनज 233 किलोग्राम डोडा पोस्ट पाया गया। 500 ग्राम डोडा पोस्ट प्रत्येक बैग से लिया गया एवं वनज लिया गया जिसका कुल वनज 3500 ग्राम निकला। इसमें से दो सैम्पल 500 ग्राम को प्लास्टिक बैग में रखा गया एवं इसे एक सफेद कपड़े कि थैली में रखकर सील मोहर किया गया। सैम्पल का मार्क ए किया गया, कंट्रोल सैम्पल को मार्क बी तथा बचे हुए 2500 ग्राम सैम्पल को सील मोहर कर मार्क सी अंकित किया गया।

तीनों अभियुक्त सहीराम, सोहन, कन्हैयालाल को अंतर्गत धारा 52 अधिनियम नोटिस दिया गया एवं गिरफ्तार किया गया। मैं तीनों अभियुक्तों को पहचान सकता हूॅ वह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हूॅ। प्रदर्श पी–1 गवाह किशन को दिया गया नोटिस है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है, प्रदर्श पी–17 नोटिस चमन को दिया गया जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर एवं सी से डी चमन के हस्ताक्षर है, प्रदर्श पी–2 नोटिस अंतर्गत धारा 50 अभियुक्त को दिया गया, प्रदर्श पी–3 नोटिस अंतर्गत धारा 50 अभियुक्त सोहन को दिया, प्रदर्श पी–4 नोटिस अंतर्गत धारा 50 अभियुक्त कन्हैयालाल को दिया गया, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है एवं जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है, फर्द जप्ती डोडा पोस्ट प्रदर्श पी–5 है जिस पर ई से एच मेरे हस्ताक्षर है।

7 अभिलेख पर आयी साक्ष्य के परिशीलन उपरांत, विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण संख्या 2, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण प्रमाणित पाये जाने पर अपने आदेश दिनांक 1.8. 2015 द्वार प्रत्यार्थी को अपराध अंतर्गत धारा 8 सपठित धारा 15 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की गयी। उक्त दिवस के अपने पृथक् आदेश से प्रत्यार्थी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 1,50,000/– के अर्थदण्ड में दंडित किया एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड की स्थिति में एक वर्ष का

कठोर कारावास अतिरिक्त भुगते जाने से दण्डित किया। परिवीक्षा न्यायालय द्वारा मत अंकित किया गया–

> ‘‘प्रस्तुत प्रकरण में, अभियुक्त सहीराम के विरुद्ध अपने चेतन्य कब्जे में 223 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जिसे वह ट्रेवेरा वाहन, संख्या RJ 27 TC-0323 में परिवहन कर रहा था का अपराध प्रमाणित किया गया, जिसके संदर्भ में उसके पास उक्त पदार्थ को रखने बावत कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था एवं जो मात्रा डोडा चूरा की जब्त की गयी एवं वाणिज्यिक मात्रा से अधिक थी।’’

8 उक्त आदेश में व्यथित होकर प्रत्यार्थी द्वारा एस बी फौजदारी अपील संख्या 774/2015 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपील के समर्थन में मुख्य आधार यह लिया गया कि प्रश्नगत मुद्दामल जो कि एक प्रतिबंधित पदार्थ है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य 223 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ के जब्ती का समर्थन नही करती। उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया एवं यह निर्धारित किया गया कि दो सैम्पल पैकेट एवं एक बैग 2.5 किलोग्राम पोस्ट तृण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं प्रदर्शित किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश **नर आगा बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2008) 16 एससीसी 417, जितेन्द्र व अन्य बनाम**

मध्य प्रदेश राज्य (2004) 10 एससीसी 562, अशोक उर्फ डंगरा जयसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) 5एससीसी 123 एवं विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) 14एससीसी 527 जिनमें यह निर्णीत किया गया कि मुद्दामल एवं प्रतिबंधित पदार्थ को प्रदर्शित कराने की विफलता अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक है। उच्च न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया–

> ''मुद्दामल का न्यायालय में प्रदर्शित नहीं करना यह निश्चयात्मक निष्कर्ष दर्शाता है कि अभियोजन द्वारा जब्ती को प्राथमिक साक्ष्य देने में असफल रहा है एवं अभियोजन द्वारा कथित बरामदग के साक्ष्य को विलोपित करती है।
> प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन द्वार मुद्दामल को न्यायालय में प्रदर्शित नहीं करना, अभियोजन द्वारा बरामदगी को सम्पूर्ण साक्ष्य को विलोपित करती है।''
> उक्त विचार के अनुरूप, उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गयी, विशिष्ट न्यायाधीश द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 1.8.2015 को अपास्त कर प्रत्यार्थी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से बरी किया गया।

9 हमारे द्वारा डॉ. मनीष सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य की ओर से एवं एवं श्री प्रो. सौरभ अजय गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यार्थी को सुना गया।

10 शुरूआत में, इस पर विचार किया जाना समीचिन है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणों पर भरोसा किया गया है क्या उनमें यह सुस्पष्ट कहा गया कि प्रतिबंधित पदार्थ कि न्यायालय में प्रस्तुत करने की विफलता अभियोजन के प्रकरण को विलोपित करती है अथवा नहीं।

11 जितेन्द्र व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, अभियुक्त द्वारा यह निर्विवादित यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अनवीक्षा के दौरान भौतिक वस्तु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु मद संख्या 4 में यह तर्क प्रस्तुत किया गया।

> ‘‘4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुर्जोर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया। उनके द्वारा यह दर्शाया गया कि यह एक असामान्य प्रकरण है जहां भौतिक वस्तु, जो कि 1 किलोग्राम चरस जो जितेन्द्र के कब्जे से जब्त की गयी एवं 1 किलोग्राम गांजा कथित तौर पर जितेन्द्र कि पत्नी, अभियुक्त शीला के कब्जे से जब्त की

गयी, इन्हें अनवीक्षा के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।''

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शाती है जो सैम्पल एफ.एस.एल. को भेजे गये वह जब्त सामग्री से ही लिये गये हो। उक्त वचन को इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया जो नीचे उल्लेखित है :

''6. हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार अरक्षणीय है। अनवीक्षाव के दौरान यह आवश्यक था कि अभियोजन ठोस साक्ष्य से यह साबित करे कि कथित चरस एवं गांजा की मात्रा अभियुक्त के कब्जे से जब्त की गयी है। सर्वोत्तम साक्ष्य यह होती है कि जब्त पदार्थ न्यायालय में प्रस्तुत होता एवं भौतिक वस्तु प्रदर्शित होती। इस बावत प्रस्तुत ना होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य से पंचनाम के महत्वपूर्ण लेख एवं प्रस्तुति से अभियोजन के भारी बोझ का विलोपन नही हो जाता है, विशेषतः जब अपराध एनडीपीएस. अधिनियम के तहत कठोर सजा से दंडित है। इस प्रकरण में, हम यह पाते हैं कि पंचनामा के पंच पक्षद्रोही हो गये हैं अब पंचनामा संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखा दस्तावेज मात्र है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह में दिया गया सुझाव संज्ञान के योग्य है। अभियोजन साक्ष्य को दिया गया कि सुझाव क्या मकान मालकिन द्वारा पुलिस में साजगाठ कर एक झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया ताकि अभियुक्त को

मकान से बेदखल किया जा सके। अंत में हम यह पाते हैं कि अन्वेक्षण अधिकारी भी परीक्षित नहीं हुआ। इस पृष्ठभूमि में यह कहना कि पंच साक्ष्य पक्षद्रोही हुई, अन्वेक्षण अधिकारी का न्यायालय में परीक्षित ना होना एवं जब्त पदार्थ का प्रस्तुत ना होना, एनडीपीएस. अधिनियम में दोषसिद्धि होना क्लिष्ट है।

7. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष दो अन्य तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 14.8. 1999 जो पुलिस अधीक्षक, दतियां द्वारा निदेशक, राज्य विधि प्रयोगशाला को लिखा गया पर भरोसा किया गया एवं उस पर निर्भर किया गया, हालांकि यह दस्तावेज अनवीक्षा में प्रस्तुत नहीं हुए एवं विधि द्वारा प्रमाणित भी नहीं हुआ। उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि अभियोजन द्वारा यह पत्र प्रदर्शित नहीं करवाया गया एवं अनवीक्षा न्यायालय इस संदर्भ में सचेत भी नहीं था। पत्र के अंतर्वस्तु कि सत्यता के किसी द्वारा पुष्टि के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पत्र कि अंर्तवस्तु पर निर्भर सिर्फ इस आधार पर किया गया कि उक्त पत्र आरोप–पत्र की मद संख्या 9 पर उल्लेखित किया गया था, एवं इसकी प्रति अभियुक्त को दे गयी होगी यह एक आर कमी, जो उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रकट हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हमारा ध्यान अंतिम रिपोर्ट दिनांक 3.10.1999 अंतर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर आकर्षित करवाया, मूल पत्रावली पर मौजूद। हम यह कुछ विचित्र चीज पाते हैं। अंतिम रिपोर्ट

के कालम 16 पर शीर्षक ''प्रयोगशाला के विश्लेषण का परिणाम,'' यहां यह उल्लेखित है ''विधि प्रयोगशाला की रिपोर्ट, सागर कि प्रतीक्षित है।'' दिलचस्पी से, राज्य विधि प्रयोगशाला सागर की रिपोर्ट दिनांक 30.08.1999 (प्रदर्श पी–17), जो यह प्रमाणित करते हैं कि पैकेट ए, बी एवं सी जो प्रयोगशाला में भेजी गयी थी उनमें 'चरस एवं गांजा' था। यह हमें विस्मयकारक लगता है कि अंतिम रिपोर्ट जो अंतर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 3.10.1999 को पेश की गयी थी, जिस पर आरोप–पत्र आधारित था, जो संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किये गये थे या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं था या विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को बिना पढ़े ही या विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पूर्व दिनांकित है। यह एक अन्य परिस्थिति है जो अभियोजन के प्रतिकूल जाती है।

9. सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव लेने पर, हमें यह प्रतीत होता है, जो सामग्री अभिलेख पर मौजूद है उससे अभियोजन संदेह से परे अपराध प्रमाणित नहीं कर पाया है। हम इस पर विचार के है कि अभिलेख पर उपलब्ध साामग्री के आधार पर अपीलांट की दोषसिद्धि असुरक्षित है। वह संदेह का लाभ के निश्चायक अधिकारी है।

12 अशोक उर्फ डांगरा जयसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में यह अवलोकन किया गया –

''9. जब्ती के साक्ष्य का पक्षद्रोही होना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह फौजदारी अनवीक्षा में कोई असाामान्य बात नहीं है, खासतौर पर

एनडीपीएस. मामलों में परन्तु अन्य परिस्थितियों में, जब उन्हें संयुक्त रूप से देखा जावे, अपीलांट की दोषसिद्धि बहुत असुरक्षित होती है।

10. यथाकथि स्वापक औषधि की जब्ती 8.3.2005 को सांय 11:45 बजे की गयी थी। जब्त पदार्थ के सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला को दिनांक 10.03. 2005 को भेजे गये थे, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–31 जो सैम्पल जो विधि परीक्षण हेतु भेजे गये थे, वह उस दिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा नहीं हो पाये परन्तु वह आरक्षी केन्द्र में 12.05.2005 को वापिस लौट आये या तो अग्रेसन पत्र में कोई कमी थी या तो कोई प्रश्न होने बावत। अग्रसेन पत्र में आवश्यक सुधार एवं या प्रश्नों के जवाब पश्चात् उक्त सैम्पल दिनांक 14.3.2005 को पुनः विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गये एवं उसी दिन वह सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में स्वीकृत कर लिये गये। जब्ती के समय सांय 8.3.2005 से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14.3.2005 को जमा होने तक, यह स्पष्ट नही है कि उक्त सैम्पल कहां रखे गये, किन–किन व्यक्तियों के पास रहे एवं कैसे रहे।

11. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट 21.03. 2005 को प्राप्त हुई, उक्त आधार पर दिनांक 31.3. 2005 को पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किये गये, परन्तु यथाकथित स्वापक औषधि जो अभियुक्त से जब्त की गयी थी एवं अपीलांट से जब्त किये गये पदार्थ मालखाने में दो माह पश्चात्

दिनांक 28.5.2005 को जमा करवाये गये थे। दो माह तक जब्त पदार्थ कहां रहा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

12. अंतिम लेकिन कम नहीं, यथाकथित स्वापक पावडर अभियुक्त के कब्जे से जब्त, समेत अपीलांट अनवीक्षा न्यायालय के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं हुआ ना ही प्रदर्शित हुआ फिर से इसका प्रस्तुत नहीं होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अतः इसकी कोई साक्ष्य नहीं है जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को अपीलांट या अभियुक्त के कब्जे से जब्त पदार्थ को जोड़ती हो।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जितेन्द्र व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के आधार पर, संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया गया एवं विमुक्त कर दिया गया।

13 विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य से, अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया, जो कि निर्णय की मद संख्या 4 से स्पष्ट है कि न्यायालय में प्रतिबंधित पदार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। इस न्यायालय द्वाराव उक्त प्रकरण को इस प्रकार समाधान किया गया –

''9. नौट आगा में इस न्यायालय द्वारा निर्णय कि मद संख्या 96 जिस पर विद्वान अधिवक्ता राज्य ने अत्यधिक निर्भर किया है जिसे नीचे दोहराया जा रहा है : (SCC P. 464)

> ''96. अंतिम लेकिन कम नहीं, तीन सैम्पल की भौतिक साक्ष्य जो जब्त माल से ली गयी थी उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अगर तर्कों के खातिर यह मान भी लिया जाये कि जब्त मूल माल को नष्ट कर दिया या है, सैम्पल का प्रस्तुत करना आवश्यक था एवं उसे प्रमाणित करना कि वह बरामदगी के तथ्य की प्राथमिक साक्ष्य जैसा कि धारा 52–ए अधिनियम में परिकल्पित है।''

अतः नूर आगा के निर्णय की मद संख्या 96 इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया कि अभियोजन को हर सूरत में सैम्पल प्रस्तुत करने है अगर मूल जब्त पदार्थ नष्ट भी कर दिया गया हो। इस न्यायालय द्वारा अवलोकन में उक्त अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया कि न्यायालय में प्रतिबंधित प्रस्तुत ना करने की स्थिति मे अभियोजन जो एनडीपीएस. अधिनियम में जारी है उसके क्या परिणाम होगा। (जोर दिया गया।)

10. दूसरी ओर, इस न्यायालय के जितेन्द्र प्रकरण के निर्णय को पढ़ने पर, हम यह पाते हैं किएनडीपीएस. अधिनियम की अनवीक्षा में इस न्यायालय का मत है, अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह ठोस

साक्ष्य से यह प्रमाणित करे कि प्रतिबंधित पदार्थ कि यथाकथित मात्रा अभियुक्त के कब्जे से जब्त की गय एवं इस तथ्य को न्यायालय में प्रमाणित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य यह है कि जब्त पदार्थ को भौतिक पदार्थ के तौर पर प्रस्तुत करे एवं यथाकथित जब प्रतिबंधि पदार्थ प्रस्तुत ना हो सके तो एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ना करने का स्पष्टीकरण ना दिया गया हो, तो केवल मौखिक साक्ष्य से एनडीपीएस. अधिनियम में अपराध में दोषसिद्धि करना पर्याप्त नहीं होगा जब पंच गवाह पक्षद्रोही हो गये हो। फिर से, अशोक वाले प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त के कब्जे से जब्त यथाकथित स्वापक पाउडर अनवीक्षा न्यायालय में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं हुआ एवं इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया एवं इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को जब्त पदार्थ से जोड़ती हो जो अपीलांट के कब्जे से पायी गयी है।

12. अतः हम इस मत के है कि अभियोजन द्वारा ब्राउन शुगर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी एवं ब्राउन शुगर के गैर प्रस्तुति बावत भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वह अपीलांट के कब्जे से मिली हो एवं (पीडब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–4) जो जब्ती के साक्ष्य है उनसे यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि अपीलांट के कब्जे से ब्राउन शुगर जब्त की गयी है, अनवीक्षा न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय एवं उच्च

न्यायालय का निर्णय जो अनवीक्षा न्यायालय का समर्थन करता है को स्थायी नहीं करा जा सकता।''
(जोर दिया गया।)

14 हाल ही के इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2019 के विजय पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय में अभियुक्त को इस आधार पर लाभ दिया गया कि जब्त सैम्पल एवं जो सैम्पल परीक्षण में भेजे गये उनमें कोई सहसंबंध नहीं था। इस न्यायालय द्वारा विजय जैन में पारित आदेश पर निर्भर किया गया अन्य बातों के साथ यह कथन किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एवं अभियुक्त के कब्जे से जब्त पदार्थ को जोड़ने की कोई साक्ष्य नहीं है। संबंधित अवलोकन मद नं.0 8 निर्णय में निम्न अनुसार है –

''8. प्रस्तुत प्रकरण में जो सैम्पल जब्त किये गये एवं वह सैम्पल जो अपीलांट से जब्त किये गये अभियोजन उन्हें संबंधित करने में असफल रहा है जिससे कि यह प्रकरण सैम्पल ना प्रस्तुत किये जाने के समकक्ष है। ऐसी परिस्थितियों में केवल विधि विज्ञान

प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रस्तुत करना कि परीक्षित सेम्पल स्वापक पदार्थ है निर्णायक प्रमाण अपने आप में नहीं हो सकता। जब्त सेम्पल एवं परीक्षित सेम्पल में सह–संबंध होना आवश्यक है। विजय जैन के निर्णय के संबंधित अनुच्छेद निम्न है –

10. दूसरी ओर, इस न्यायालय के जितेन्द्र प्रकरण के निर्णय को पढ़ने पर, हम यह पाते हैं किएनडीपीएस. अधिनियम की अनवीक्षा में इस न्यायालय का मत है, अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह ठोस साक्ष्य से यह प्रमाणित करे कि प्रतिबंधित पदार्थ कि यथाकथित मात्रा अभियुक्त के कब्जे से जब्त की गय एवं इस तथ्य को न्यायालय में प्रमाणित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य यह है कि जब्त पदार्थ को भौतिक पदार्थ के तौर पर प्रस्तुत करे एवं यथाकथित जब प्रतिबंधि पदार्थ प्रस्तुत ना हो सके तो एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ना करने का स्पष्टीकरण ना दिया गया हो, तो केवल मौखिक साक्ष्य से एनडीपीएस. अधिनियम में अपराध में दोषसिद्धि करना पर्याप्त नहीं होगा जब पंच गवाह पक्षद्रोही हो गये हो। फिर से, अशोक वाले प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त के कब्जे से जब्त यथाकथित स्वापक पाउडर अनवीक्षा न्यायालय में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं हुआ एवं इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया एवं इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की

रिपोर्ट को जब्त पदार्थ से जोड़ती हो जो अपीलांट के कब्जे से पायी गयी है (जोर दिया गया।)

15 यह सत्य है कि उपरोक्त प्रकरणों में अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया कि न्यायालय में प्रतिबंधित पदार्थ का प्रस्तुत ना होना का आवश्यक परिणाम यह है कि एकल तौर पर उक्त आधार पर इस न्यायालय ने बरी का लाभ दिया हो। जितैन्द्र वाले प्रकरण से यह स्पष्ट है कि उक्त आधार के अलावा इस न्यायालय ने अन्य तथ्यों पर भी गौर किया जो अनुच्छेद 7 से 9 तक से स्पष्ट है। इसी तरह अशोक वाले प्रकरण के निर्णय में यह तथ्य है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जब्त माल कहां रखा गया (मद संख्या 11) एवं अतिरिक्त तथ्य कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को जब्त पदार्थ से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य नहीं थी, (मद संख्या 12) पर भी निर्भर किया गया था अभियुक्त को संदेह का लाभ दिये जाने में, इसी प्रकार, विजय जैन वाले प्रकरण में, यह तथ्य कि पत्रावली पर कोई ऐसी साक्ष्य नहीं आयी

जो यह स्थापित कर सके उक्त पदार्थ अधिनियम से जब्त हुआ हो। इस न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम निर्णय विजय पांडेय के निर्णय में, यह तथ्य कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एवं जो माल जब्त किया गया को जोड़ने की कोई साक्ष्य नहीं आयी इस पर भी बरी के लाभ पूर्व निर्भर किया गया।

अतः किसी भी निर्णय इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट है, केवल प्रतिबंधित पदार्थ के न्यायालय में प्रस्तुत ना होने से इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी का लाभ दिया हो।

16 इस प्रकरण के तथ्यों की तरफर रूख करते हैं, पी.डब्लू. –15 सुरेन्द्र सिंह के साक्ष्य में यह आया कि 500 ग्राम सेम्पल प्रत्येक 7 बैग पोस्ट चूरा निकाला गया। कुल 3500 ग्राम माल से दो सेम्पल 500 ग्राम के अलग निकाले गये एवं बचा हुआ 2500 ग्राम को अलग बैग से सील किया गया। इस सेम्पल को मार्क ए, बी, सी क्रमशः मार्क

किया गया। उक्त बैग को पृथक् तौर पर सील किया गया एवं अपनी कस्टडी में लिया गया एवं प्रदर्श पी–5 फर्द जब्ती तैयार की गयी एवं सभी तथ्यों को अंकित किया गया एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर लिये गये। हमने प्रतिपरीक्षा का अवलोकन किया। किसी भी स्तर पर साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्त के हस्ताक्षर कपट, प्रपीड़न या दुर्व्यपदेशन से लिये गये या यह हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हो, या अभियुक्त फर्द जब्ती को ना समझता हो। अतः यह सुझाव कि अभियोजन द्वारा 223 किलोग्राम का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त ना किया गया प्रमाणित नही है भी गलत होगा। हमारे मत में यह तथ्य निर्णायक तौर पर प्रमाणित है।

17 यदि पदार्थ कि जब्ती अन्यथा अभिलेख पर प्रमाणित हो एवं ना तो यह संदेहास्पद हो ना ही विवादित हो तो सम्पूर्ण प्रतिबंधित पदार्थ को न्यायालय में पेश करना आवश्यक नहीं है। अगर जब्ती अन्यथा संदेहास्पद ना हो, तो इसकी कोई

आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ अत्यधिक भारी हो सकता है, जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में जहां 7 बैग जिनका कुल वनज 223 किलोग्राम है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करना ना तो संभव है ना ही साध्य है। अगर जब्ती अन्यथा प्रमाणित है, जो आवश्यकतायह है कि सेम्पल प्रतिबंधित पदार्थ से एवं प्रतिबंधित पदार्थ सुरक्षित तौर पर रखा गया हो, जब सेम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाये हो तो उनमें लगी सील बरकरार हो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में विधि विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ की शक्ति, प्रकृति एवं गुणवत्ता उक्त पदार्थ पर आधारित हो, यह आवश्यक तत्व है इस अपराध के गठन में।

18 उपरोक्त विवेचन के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः अरक्षणीय है एवं उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी का लाभ देना दोषपूण्र है। हम इस अपील को स्वीकार करते हैं एवं उच्च न्यायाल द्वारा पारित आदेश

अपास्त करते है एवं अनवीक्षा न्यायालय का दोषसिद्धि के आदेश दिनांक 01.08.2015 को बहाल करते हैं जो प्रत्यचर्थी के विरुद्ध है। न्यूनतम कारावास की सजा अपराध अंतर्गत धारा 8 सपठित 15 एनडीपीएस. अधिनियम 10 वर्ष का कारावास है।

अभिलेख पर आये तथ्यों को ध्यान रखते हुए, हमारे मत अनुसार 10 वर्ष कठोर कारावास मुख्य सजा पर्याप्त होगी। हम उक्त अनुसार आदेश पारित करते हैं, अन्य सजा के भाग अर्थदण्ड की सजा एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड जैसा अनवीक्षा न्यायालय द्वारा पारित किया गया को तथावत रखा जाता है।

19 उक्त अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है।

20 हम प्रत्यार्थी को निर्देशिक करते हैं कि वह आज से संबंधित आरक्षी केन्द्र में 7 दिवस के भीतर आत्म–समर्पण

करेगा, इसमें अफसल होने पर प्रत्यार्थी को त्वरित संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया जावेगा।

इस निर्णय की एक प्रति संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं आरक्षी केन्द्र को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

नई दिल्ली, 27 सितम्बर 2019

न्यायाधिपति

उदय उमेश ललित

विनीत सरन

अस्वीकरण – इस निर्णय की अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेगें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। हर अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये उक्त निर्णयों का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं क्रियान्वयन में भी इसी को उपयोग में लिया जायेगा।

The translated judgment is in vernacular language and is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.